भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2397

उत्तर देने की तारीख : 13.03.2025

एमएसएमई को समर्थन

2397. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाने का विचार है ताकि उन्हें उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और कितनी निधि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : बजट घोषणा 2025 में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को संशोधित कर क्रमशः 2.5 और 2 गुना किया गया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्गीकरण	संयंत्र और मशीनरी में वर्तमान निवेश (करोड़ रुपए में)	संयंत्र और मशीनरी में निवेश (करोड़ रुपए में)	वर्तमान टर्नओवर (करोड़ रुपए में)	टर्नओवर (करोड़ रुपए में)
सूक्ष्म	1	2.5	5	10
लघु	10	25	50	100
मध्यम	50	125	250	500

वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा में वृद्धि करने से, एमएसएमई को मौजूदा एमएसएमई स्कीमों की स्थिति और इनके लाभ को बरकरार रखते हुए, उनके दक्षता स्तर में वृद्धि होगी, तकनीकी उन्नयन होगा और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त हो सकेगी।

केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से एमएसएमई को सहायता प्रदान करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है, जिनमें अन्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल हैं।

*****